POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 23.03.2025

1. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा समलैंगिक युवको को अपने पास बुलाकर व वीडियों बनाकर उनसे जबरन वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 22.03.2025 को थाना फेस-2 पर वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. विष्णु, 2-राहुल, 3-संदीप द्वारा वादी को जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसके साथ अश्लील हरकर करते हुये अश्लील वीडियो बनाकर पैसो की मांग करना व जान से मारने का भय दिखाकर वादी से दिनांक 20.03.25 में ऑनलाइन 2500 रुपये तथा दोबारा दिनांक 22.03.25 में 1500/रु0 ले लेना तथा प्रतिवादी द्वारा ओर अधिक पैसो की मांग करना वादी द्वारा मना करने पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर देने तथा पुलिस को बताने पर जान से मार देने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना फेस 2, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 139/2024 धारा 115(2)127(2)/308 (5) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण- अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त 24 घण्टे के अन्तराल में दिनांक **23.03.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये वांछित अभियुक्तगण 1.संदीप पुत्र रघुराज सिंह 2. विष्णु पुत्र राकेश सिंह 3.राहुल पुत्र मुकेश को बस स्टैण्ड, फेस-2 गौतमबुद्धनगर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया ।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वादी को नौकरी दिलाने के नाम पर इन्टरव्यू के लिये कमरे पर बुलाकर जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसके साथ अश्लील हरकर करते हुये अश्लील वीडियो बनाकर पैसो की मांग करना व जान से मारने का भय दिखाकर वादी से रूपये ले लेना तथा प्रतिवादी द्वारा और अधिक पैसो की मांग करना मना करने पर वीडियो वायरल कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना व पुलिस को सूचना दी तो जान से मार देने की धमकी देकर उद्दापन करके धन ऐठना ।

1. ये सभी अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जो एनसीआर क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगो को बुलाकर उनकी फोन से अश्लील वीडियो बनाकर पैसो की माँग करते है और पैसा मिलने पर फिर से और अधिक पैसो देने के लिये उत्प्रेरित करते है।

2. ये सभी अभियुक्तगण पैसे न मिलने पर भोले भाले लोगो को वीडियो बनाकर वायरल करने के नाम पर आत्महत्या के लिये मजबूर करने तथा पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी का भय दिखाकर उद्दापन कर धन ऐठ लेते है।
3. ये सभी अभियुक्तगण शिक्षित है और जनपद बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले है।
4. यह सभी अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से एक जगह न रहकर निरंतर स्थान बदलते रहते हैं तथा एक जगह टिक कर नही रहते।
5. यह सभी अभियुक्तगण पकड़े जाने के डर से केवल वाट्स काल तथा वीपीएन इंटरनेट का प्रयोग करते है ताकी पुलिस इनको ट्रेस न कर सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. संदीप पुत्र रघुराज सिंह नि0 रोरा मल्कपुर, थाना अनुपशहर, जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 22 वर्ष, हाल पता गली न0 13, ग्राम इलाहाबास, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर,
2. विष्णु पुत्र राकेश सिंह नि0 रोरा मल्कपुर, थाना अनुपशहर, जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 22 वर्ष, हाल पता गली न0 13, ग्राम इलाहाबास, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर,
3. राहुल पुत्र मुकेश नि0 वुदानपुर खुर्द, थाना डिवाई, जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 19 वर्ष, हाल पता- गली न0 -13, इलाहाबास देवी मन्दिर,

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 139/2024 धारा 115(2)127(2)/308 (5) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छीना हुआ लैपटाप, 05 मोबाइल फोन, 02 ब्लूटूथ इयरफोन, 01 स्मार्ट वाच, 01 चार्जर, 01 एअर पॉडस, 01 बैग व 01 आधार कार्ड फोटाकापी, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अवैध चाकू तथा 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक **23.03.2025** को रात्रि में एनसीआर क्षेत्र में राह चलते व्यक्तियों/ऑटो में सवार व्यक्तियों से झपटामारी कर मोबाइल फोन, लैपटाप बैग आदि छीनने वाले 02 अभियुक्त 1.शिवू उर्फ शिवा पुत्र संजय श्रीवास्तव 2.राहुल कुमार पुत्र स्व0 राजकिशोर पोद्दार को एफएनजी कट से पुस्ता रोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवू उर्फ शिवा पुत्र संजय कुमार श्रीवास्तव निवासी ग्राम न्यूरिया कालोनी हुसैनपुर थाना हुसैनपुर हल्द्वानी जिला उधमसिंहनगर उत्तराखंड हाल पता किराये का मकान गली नं0 06 ग्राम गेझा थाना फेस-2 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष
2. राहुल कुमार पुत्र स्व0 राजकिशोर पोद्दार निवासी ग्राम पिलखी थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल पता पॉकेट-07 सेक्टर 82 थाना फेस-2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 142/2025 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बीएनएस व 4/3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113 नोएडा।
2. मु0अ0सं0 130/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा।
3. मु0अ0सं0 0120/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा।
4. मु0अ0सं0-093/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113 नोएडा।
5. मु0अ0सं0-0725/2020 धारा 379 भादवि थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक छीना हुआ लैपटाप,
2. 05 मोबाइल फोन,
3. 02 ब्लूटूथ इयरफोन,
4. 01 स्मार्ट वाच,
5. 01 चार्जर,
6. 01 एअर पॉडस,
7. 01 बैग,
8. 01 अवैध तमंचा .315,
9. 01 अवैध चाकू,
10. 01 आधार कार्ड फोटाकापी
11. एक चोरी की मोटरसाइकिल (संबंधित मु0अ0सं0-0725/2020 धारा 379 भादवि थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर)

3. थाना दादरी पुलिस द्वारा बिना चिकित्सा डिग्री/रजिस्ट्रेशन के तथाकथित महिला चिकित्सक एवं हॉस्पिटल प्रबन्धक को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 02.01.2025 को वादी ने अपनी भाभी को प्रसव (डिलीवरी) के लिये कृष्णा हॉस्पिटल दादरी मे भर्ती कराया था। जहाँ पर इलाज के दौरान लापरवाही के कारण महिला व उसके शिशु की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे वादी द्वारा थाना दादरी पर सूचना दी गयी थी। थाना दादरी पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे सीएमओ गौतमबुद्धनगर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। सीएमओ गौतमबुद्धनगर द्वारा गठित जाँच समिति की निष्कर्ष रिपोर्ट मे डॉक्टर का कोई चिकित्सा रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा सम्बन्धी डिग्री नही पायी गई एवं प्रसव के दौरान लापरवाही किया जाना पाया गया। रिपोर्ट मे दोषी पाये जाने के आधार पर थाना दादरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण-- मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि बिना चिकित्सा डिग्री/बिना किसी रजिस्ट्रेशन के तथाकथित महिला चिकित्सक जूही व हॉस्पिटल प्रबन्धक राजीव के द्वारा महिला का प्रसव किया गया था। जिसमे जानबुझकर लापरवाही किये जाने पर महिला व उसके शिशु की मृत्यु हो गयी थी। थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक **23.03.2025** को घटना मे संलिप्त अभियुक्त 01. राजीव पुत्र सत्यवीर भाटी 02. जुही पुत्री सन्तोष कुमार सिंह पत्नी अमित सिंह को थाना दादरी गेट से **गिरफ्तार** किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(2)/319(2)/318(2)/105 बीएनएस व धारा 34(2) नेशनल मेडीकल कमीशन एक्ट 2019 का अपराध होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. 1.राजीव पुत्र सत्यवीर भाटी नि0 पेट्रोल पम्प रेलवे रोड के सामने कृष्णा हॉस्पीटल दादरी उम्र 38 वर्ष
2. जुही पुत्री सन्तोष कुमार सिंह पत्नी अमित सिंह हाल पता एस्कोर्ट कॉलोनी कस्बा दादरी नि0 ग्राम बहलोलपुर जिला आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष व अन्य पता ग्राम मैहनाजपुर जिला आजमगढ ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 0128/2025 धारा 3(2)/319(2)/318(2)/105 बीएनएस व धारा 34(2) नेशनल मेडीकल कमीशन एक्ट 2019 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।